



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी क्रं. /

R-4237-188/12

संजय माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द्र माहेश्वरी,
आयु लगभग 39 वर्ष,
निवासी :- द्वारा माहेश्वरी रोड लाईन्स,
इतवारा, भोपाल

..... निगरानीकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री बैनीप्रसाद,
(पुत्री सदाराम) निवासी :- ग्राम तारा सेवानियां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

श्रीमती बसंती बाई पत्नी श्री नथमल,
(पुत्री सदाराम) निवासी :- ग्राम कुठार,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

3. भगवान सिंह पुत्र सदाराम,
निवासी :- ग्राम चौपड़ा कलां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

4. श्रीमती मुलिया बाई पत्नी स्व. श्री सदाराम,
निवासी :- ग्राम चौपड़ा कलां,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

5. श्रीमती चन्द्रकला, आयु लगभग 65 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द्र माहेश्वरी,
निवासी :- ई-7/193, एम.आई.जी.,
अरेरा कालोनी, भोपाल

6. मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 113/अपील/2010-2011 (शांति बाई व अन्य विरुद्ध भगवान सिंह व अन्य) ग्राम चौपड़ा कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में पारित अंतिम आदेश दिनांक 05/09/2011 एवं समस्त कार्यवाहियों से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्नलिखित ठोस तथ्यों एवं आधारों पर (जानकारी की दिनांक 02/10/2012) यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

निरंतर.....2

R. 4237-ABR/12 BR.L

28.4.2016

~~DD~~

आवेदक की ओर से सुन्ना
अपने कोई भी उपाख्यान नहीं।
तीन बार पुकार लावाई गई फिर
भी कोई उपाख्यान नहीं। अतः
पुकार अरम परकी में खालि
किया जाता है।

OK

~~अध्यक्ष~~